आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना (PMKMY) (50 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार द्वारा)	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी.एम.–के.एम. वाई) के अन्तर्गत सभी 18 से 40 आयु वर्ग के भू–धारक लघु और सीमान्त किसानों पुरूष और स्त्री दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपये की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है।	–	–	18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. **पंजीकृत कृषक**–1688	सभी 18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. **पंजीकृत कृषक**–1953 **(क्रमिक)**	पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिये पात्र कृषकों के मध्य योजना का प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा तथा उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होगी।	एक वर्ष
18.	कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund)	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा।	–	–	योजना प्रारम्भ नहीं थी।	रू0 78.5 लाख का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।	रू0 235.5 लाख का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।	फसलोपरांत उत्पादों कें भण्डारण एवं विपणन में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों की आय बढ़ेगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	किसान उत्पादक समूह (Fpo)	1. किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। 2. सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना तथा उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान करना। 3. किसान उत्पादक संगठनों हेतु निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करना। 4. किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता विकास करना	–	–	योजना प्रारम्भ नहीं थी।	निम्न संस्थाओं द्वारा 41 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जा रहा है। 1. नाबार्ड–20 2. एस0एफ0ए0सी0–15 3. एन0सी0डी0सी0–6	प्रदेश में कुल 300 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जा जाना है।वर्ष 2021–22 हेतु लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिसके अनुसार संस्थायें एफ0पी0ओ0 का गठन करेंगी।	कृषक बाजार के मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करेंगे, जिससे कृषकों को फसलों को बेचने की सुविधा होगी तथा उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों को नवीन तकनीकी एवं उन्नत गुणवत्तायुक्त खाद, बीज उपकरण आदि प्राप्त होंगे।	एक वर्ष
केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग			32667.01	—					

आउटकम बजट वर्ष 2021-22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				राज्यपोषित योजनायें					
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना।	11476.95	–	कृषि विभाग के कार्यरत 1280 अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ 5080, रबी/जायद–3702	कृषि विभाग के कार्यरत 1252 अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ में 5110, रबी/जायद में लगभग –3705	कृषि विभाग के कुल स्वीकृत पद 2489 अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग प्रायोजित होंगे। खरीफ–5110, रबी/जायद–3705	कृषि से सम्बन्धित कार्य सतत् रूप से सम्पादित किए जायेंगे। खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों का क्रॉप कटिंग के आधार पर उत्पादन के आंकड़े भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित किये जायेंगे, जिससे प्रदेश एवं देश के उत्पादन के आंकड़े तैयार होंगें।	एक वर्ष
2	कृषि निवेश भण्डार प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	602.03	–	670 न्यायपंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया व कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान किया गया राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन किया गया।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया तथा 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया तथा 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा।	कृषकों को समय से गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	45.00	–	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0 पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर, मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव, किया गया है। **1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण (सं0)– 13605** **2. नमूनों का विश्लेषण (सं0) :–** मृदा– 13605 उर्वरक– 487 कीटनाशी–439 बीज–497	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जा रहा है। **1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण (सं0)– 10807** **2.नमूनों का विश्लेषण (सं0) –** मृदा – 12936 उर्वरक – 400 कीटनाशी – 400 बीज – 482	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जायेगा। **1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण (सं0)– 40,000** **2. नमूनों का विश्लेषण (सं0)–** मृदा – 40,000 उर्वरक – 440 कीटनाशी – 440 बीज – 500	कृषकों को गुणवत्तायुक्त तथा मानक के बीज, खाद एवं दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
4	राज्य किसान आयोग	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना एवं कृषि क्षेत्र की समस्याओ के समाधान हेतु उपाय सुझाना।	29.00	–	**राज्य किसान** आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं थे।	**राज्य किसान आयोग के** अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जा रहा है।	**राज्य किसान आयोग के** अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।	कृषि क्षेत्र की नयी सम्भावनाओं की तलाश, कृषकों की समस्याओं का समाधान एवं कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को केन्द्र–पोषित योजनाओं में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान के समतुल्य 30 प्रतिशत अनुदान राज्य सैक्टर से प्रदान करना ताकि कृषकों को कम मूल्य पर यंत्र उपलब्ध हो सके एवं अधिक कृषको तक कृषि यंत्रो की पहुंच बढ़े।	400.00	–	**केन्द्रपोषित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन** के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय जनपदों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी गयी।	**केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन** के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा राज्य सैक्टर से दी जा रही है।	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी जायेगी।	पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर कृषि यंत्रों का उपयोग कम हो रहा है, वहां उन्नत कृषि यंत्र कृषकों को कम से कम मूल्य पर प्राप्त होंगे, जिससे लघु एवं सीमान्त तथा सुदूर क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों का विस्तार होगा।	एक वर्ष
6	एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना	कृषक स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।	1200.00	–	प्रत्येक विकासखण्ड से एक कलस्टर का चयन किया गया है। कुल 95 कलस्टर चयनित कर कार्ययोजना तैयार की गयी।	चयनित 95 कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन गतिमान है।	चयनित कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।	कलस्टर आधारित सहकारी कृषि से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा कृषकों की आय बढ़ेगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर पर्वतीय क्षेत्रों हेतु उन्नत प्रजातियों के बीज का उत्पादन।	54.50	–	05 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 34.40 हैक्टेयर में 434.45 कुं0 खरीफ एवं 486.00 कुं0 रबी बीजों का उत्पादन हुआ। कुल 920.00 कुं0 बीज उत्पादन	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 30.30 हैक्टेयर में 336.76 कुं0 खरीफ बीजों का उत्पादन हुआ। रबी में लगभग 550 कुं0 बीज उत्पादन की सम्भावना है। वर्ष में लगभग कुल 886.76 कुं0 बीज उत्पादन सम्भावित है।	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर खरीफ एवं रबी में अनुमानित 950 कुं0 बीज उत्पादन का लक्ष्य है।	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु संस्तुत फसल प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता । गुणवत्ता बीजों के उपयोग से उत्पादकता एवं बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
8	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना।	150.00	–	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 कार्मिकों, आउट सोर्सिंग से रखे गये 15 एवं संविदा के माध्यम से रखे गये 59 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया गया।	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 कार्मिकों, आउट सोर्सिंग से रखे गये 15 एवं संविदा के माध्यम से रखे गये 59 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जा रहा है।	जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु स्वीकृत कार्मिकों एवं आउट सोर्सिंग/संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जायेगा।	जैविक कृषि क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि के नवीन तकनीकियो का कृषको में प्रचार प्रसारण एवं कृषि सम्बन्धी समस्या का समाधान।	8.00	–	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया गया।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जा रहा है।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जायेगा।	कृषको को कृषि से सम्बन्धित योजनाओं एवं तकनीकियों का लाभ।	एक वर्ष
10	खाद्यान्न/ दलहन/ तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	–	1500.00	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 33627 कु0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर उसका वितरण किया गया।	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 39662 कु0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर वितरण।	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 40750 कु0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय किया जायेगा।	गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे खाद्यान्न एवं तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि होगी तथा बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी।	एक वर्ष
11	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की लागत	कीटों से फसलों को होने वाले रोगों से बचाव एवं खेती के लिये आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की आपूर्ति	–	500.00	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया गया – 1. पौध रक्षा रसायन– 408 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 1237 मै0टन 3. जैव उर्वरक– 70080 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जा रहा हैं – 1. पौध रक्षा रसायन– 262 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 982 मै0टन 3. जैव उर्वरक–69575 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जायेंगा – 1. पौध रक्षा रसायन–670 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 1500 मै0टन 3. जैव उर्वरक–80,000 ली0	फसलों पर लगने वाले कीट/ रोगों के नियन्त्रण हेतु गुणवत्तापूर्ण कीटरोगनाशक औषधियां, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक कृषकों को समय से अपने नजदीकी कृषि निवेश केन्द्रों पर उपलब्ध होंगें।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	–	20.00	विकासखण्डों पर स्थित 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण का कार्य किया गया।	गत वर्ष जिन 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है, उन्हें इस वर्ष के बजट से पूर्ण किया जा रहा है।	विकासखण्ड स्तर पर निर्मित 5 राजकीय बीज भण्डारों/अन्य विभागीय भवनों में अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा।	परिसम्पत्तियों की सुरक्षा होगी। भवन निरन्तर उपयोग में आते रहेंगे।	एक वर्ष
13	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्रामों का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	350.00	–	चयनित 46 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :– 1. बीज मिनिकिट वितरण (सं0) – 2667 2. मृदा एवं जल संरक्षण (है0)– 473 3. चैक वॉल /रिटेनिंग वॉल /ब्रस्ट वॉल (सं0)–135 4. कृषि यंत्र वितरण (सं0)–3508 5. बुखारी वितरण (सं0) –86 6. सिंचाई टेंक /छतवर्षा संरक्षण टेंक (सं0)– 430 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप (मी0)– 12400 8. जल पम्प /स्प्रिंकलर (सं0)– 2	चयनित 55 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं– 1. बीज मिनिकिट वितरण (सं0) –3200 2. मृदा एवं जल संरक्षण (है0)– 125 3. चैक वॉल/ रिटेनिंग वॉल/ ब्रस्ट वॉल (सं0)–79 4. कृषि यंत्र वितरण (सं0)– 2668 5. बुखारी वितरण (सं0)–75 6. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टेंक (सं0)–110 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप (मी0)– 3500 8. जल पम्प/स्प्रिंकलर (सं0)–0	चयनित ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें :– 1. बीज मिनिकिट वितरण (सं0)–3500 2. मृदा एवं जल संरक्षण (है0) – 500 3. चैक वॉल/ रिटेनिंग वॉल/ ब्रस्ट वॉल(सं0)–150 4. कृषि यंत्र वितरण (सं0)–4000 5. बुखारी वितरण (सं0)–100 6. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टेंक (सं0)– 450 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप (मी0)– 14000 8. जल पम्प/स्प्रिंकलर (सं0)–5	चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास होगा, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति मे सुधार तथा उत्पादकता के स्तर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					9.पौध रक्षा कार्यक्रम (है0) –416 10. पॉली हाऊस (सं0) –16 11. मुर्गीबाड़ा (सं0)– 2035 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी /बढ़ई गिरी (सं0)–43 13.उद्यानीकरण (सं0)– 1000 14. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबाड़(मी0)– 540 15. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण (है0)–185	9.पौध रक्षा कार्यक्रम (है0)– 500 10. पॉली हाऊस (सं0)– 0 11. मुर्गीबाड़ा (सं0)–30 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी /बढ़ईगिरी (सं0)–15 13.उद्यानीकरण (सं0)–9685 14. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबाड़ (मी0)–0 15. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण (है0)–160	9.पौध रक्षा कार्यक्रम(है0) –500 10.पॉली हाऊस (सं0)– 20 11. मुर्गीबाड़ा (सं0)– 2100 12. राजमिस्त्री/लोहारगिरी / बढ़ईगिरी (सं0)– 50 13.उद्यानीकरण(सं0)–10000 14. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबाड़ (मी0) –500 15. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण (है0)–200		एक वर्ष
14	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्रामो का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	150.00	–	चयनित 13 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये:– 1. बीज मिनिकिट वितरण (सं0)– 1334 2. मृदा एवं जल संरक्षण (है0)– 899 3. गैबियन संरचना (सं0) –110 4. कृषि यंत्र वितरण (सं0)–2525	चयनित 14 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :– 1. बीज मिनिकिट वितरण (सं0) – 360 2. मृदा एवं जल संरक्षण (है0)– 107 3. गैबियन संरचना (सं0)–0 4. कृषि यंत्र वितरण (सं0)– 2110	चयनित ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे:– 1. बीज मिनिकिट वितरण (सं0)– 1400 2. मृदा एवं जल संरक्षण (है0) – 950 3. गैबियन संरचना (सं0)– 120 4. कृषि यंत्र वितरण (सं0)– 2600	चयनित ग्रामों मे अनुसूचित जनजाति कृषकों की कृषि के प्रति रुची में वृद्धि कृषि क्षेत्र का विकास, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग | **विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)**

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5. एच0डी0पी0ई0 पाईप (मी0) – 10950 6. सिंचाई टेंक /छतवर्षा संरक्षण टेंक (सं0)– 8 7.पौध रक्षा कार्यक्रम (सं0)–465 8.उद्यानीकरण (सं0)–0 9. मुर्गीपालन (सं0)– 40 10. सिंचाई गूल (मी0) –800 11.कृषि रक्षा रसायन / सूक्ष्म तत्व वितरण (है0)–30	5. एच0डी0पी0ई0 पाईप (मी0) – 1000 6. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टेंक (सं0)– 100 7. पौध रक्षा कार्यक्रम (सं0) 300 8. उद्यानीकरण (सं0)–10 9. मुर्गीपालन(सं0)– 4 10. सिंचाई गूल (मी0) –400 11. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण (है0)–45	5. एच0डी0पी0ई0 पाईप (मी0)– 12000 6. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टेंक (सं0) –120 7. पौध रक्षा कार्यक्रम (सं0) 500 8. उद्यानीकरण (सं0)–20 9. मुर्गी पालन (सं0)–50 10. सिंचाई गूल (मी0) –1000 11. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण (है0)–50		
15	मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना	योजना का मुख्य उददेश्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है ताकि कृषकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ–साथ उनकी आय में वृद्धि हो सके। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों का संचालन एवं कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है।	2000.00	–	योजना संचालित नहीं थी।	कृषि से सम्बन्धित 11 विभागों यथा–यू0सी0एफ0, कृषि, भेड़ एवं ऊन विकास, लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुपालन, जड़ी–बूटी शोध संस्थान, मत्स्य, डेयरी, ए0पी0एम0सी0, रेशम एवं कैप की 16 परियोजनायें स्वीकृत की गयीं, जिनपर कार्य संचालित है।	राज्य स्तरीय एस0एल0पी0 एस0सी0 द्वारा चयनित एवं एस0एल0एस0सी0 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य किया जायेगा।	उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र का विकास, कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	कृषि इन्श्योरेंस सर्वेक्षण	प्रदेश के मैदानी भाग में बीमा योजना को न्यायपंचायत / न्यायपंचायत समूह से ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करना। ग्राम पंचायत पर क्रॉप कटिंग कराना एवं उसके आधार पर फसल बीमा के अन्तर्गत क्षति का मूल्यांकन करना। यह कार्य आउट सोर्सिंग / टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।	50.00	–	योजना संचालित नहीं थी।	मैदानी क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर क्रॉप कटिंग प्रयोग किये जायेंगे।	योजना 5 वर्षों के लिये प्रस्तावित है। मैदानी क्षेत्र में ग्राम स्तर पर खरीफ एवं रबी में क्रॉप कटिंग होगी।	ग्राम पंचायत स्तर पर क्रॉप कटिंग होने से वास्तविक क्षति का आंकलन फसल बीमा के अन्तर्गत होगा। इससे कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष
17	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	खरीफ में फसल मण्डुवा, सॉवा, उर्द, गहत, सोयाबिन, भटट, राजमा एवं रबी में फसल मसूर व लाही / सरसों की उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकडे तैयार करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय भाग के किसानों को उत्तराखण्ड की परम्परागत फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित कर उनकी आय में वृद्धि कराना है।	8.50	–	योजना संचालित नहीं थी।	वर्ष 2020–21 में कुल प्रस्तावित 210 गाँव में से 165 गाँव में कार्य कर लिया गया है।	वर्ष 2021–22 में पर्वतीय के साथ–साथ मैदानी जनपदों में भी कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण कराया जायेगा।	उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होंगे, जिसमें परम्परागत फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सकेगा। कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।	100.00	–	जनपद–पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किया गया। 1. बीज वितरण(कुं0)– 24 2. कृषि यंत्र वितरण (सं0) – 210 3. जैव उर्वरक/जैविक कीटनाशी वितरण(है0)– 80 4. प्रशिक्षण/भ्रमण (सं0) –78	कोविड 19 महामारी में कृषकों को सहायता पहुँचाने हेतु खरीफ बीजों पर केन्द्र –पोषित योजनाओं में देय सहायता के अतिरिक्त राज्य सैक्टर से 25 प्रतिशत अनुदान दिया गया, जिससे कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 3555 कुं0 प्रमाणित बीज वितरित किये गये।	–	कृषकों को सहायता एवं प्रोत्साहन। उत्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
19	कृषकों की आय दोगुना करना	वर्ष 2022 तक कृषकों की आय में वृद्धि कर उसे दोगुना करना।	100.00	–	न्याय पंचायत स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विभागो एवं विभिन्न संस्थाओ में समन्वय तथा कृषको की आय बढ़ाने के लिए कार्यक्रमो का क्रियान्वयन।	न्याय पंचायत स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विभागो एवं विभिन्न संस्थाओ में समन्वय तथा कृषको की आय बढ़ाने के लिए कार्यक्रमो का क्रियान्वयन।	न्याय पंचायत स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विभागो एवं विभिन्न संस्थाओ में समन्वय तथा कृषको की आय बढ़ाने के लिए कार्यक्रमो का क्रियान्वयन।	कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	दो वर्ष
20	न्यायपंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	न्याय पंचायतों पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करना।	00	–	यह योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन से संचालित हो रही है।			पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ एवं लघु, सीमान्त कृषकों को आवश्यकता के अनुरूप सभी प्रकार के यंत्र प्राप्त होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	जैविक मंडुवा उत्पादन कार्यक्रम	जैविक मंडुवा के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि	302.40	–	योजना संचालित नहीं हुयी।				एक वर्ष
राज्य सेक्टर का योग			17026.38	2020.00					
केन्द्र एवं राज्य सैक्टर का योग			49693.39	2020.00					

कुल प्रस्तावित आऊट–ले/बजट – रू0 51713.39 लाख

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप- आउटकम बजट, वर्ष 2021-22

विभाग का नाम- कृषि विभाग

क्र. सं.	SDG संकेतक	1.04.2020 की भौतिक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) वर्ष 2021–22	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2021–22
1	2	3	4	5	6
	SDG-2 Zero Hunger (2.3)				
1	खाद्यान्न उत्पादकता (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	23.43	24.07	24.70	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि।
2	मिलेट उत्पादकता–मंडुवा/सांवां (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	14.05	14.70	15.20	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की तुलना में लगभग 3.5 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि।
3	कृषि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत)	49.85	49.90	50.00	कृषि क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है। वर्ष 2020–21 की तुलना में लगभग 0.15 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास।
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्तर्गत रबी व खरीफ में नोटिफाइड फसलों के अन्तर्गत बीमित कृषक (संख्या लाख में)	1.43	0.74	1.00	योजना में वर्ष 2020–21 की तुलना में लगभग 26000 कृषक अधिक बीमित होंगे।
5	कुल कृषि क्षेत्रफल में जैविक कृषि का क्षेत्रफल (प्रतिशत में)	24	34	36	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की तुलना में 2 प्रतिशत वृद्धि होगी।
6	धान, गेहूँ, मोटे अनाज की उत्पादकता (कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर)	22.19	23.07	24.00	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की तुलना में 4 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि होगी।
7	लघु व सीमान्त कृषकों की औसत आय (रूपये में)	91,500.00	95,550.00	1,00,300.00	गत वर्षों की तुलना में कृषकों की आय में वृद्धि।